न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या— 24/2023

1. जयप्रकाश पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. रामचन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. रामनिवास पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

—रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः— श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय — दिनांकः— 20/5/2025

अपीलांट जयप्रकाश पुत्र रामप्रताप, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामप्रताप, राजेन्द्र पुत्र रामप्रताप, रामनिवास पुत्र रामप्रताप निवासीगण दलतपतपुरा तहसील नोहर द्वारा दिनांक 20.09.2023 न्यायालय तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा पारित किया गये आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. अपीलान्ट की व अन्य सहखातेदारो की कृषि भूमि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के ख.न. 2/2 की 4.562 हैक्टर भूमि, ख.न. 2/3 की 2.6710 हैक्टर भूमि कुल 7.486 हैक्टर भूमि है जिसमें अपीलान्टसं कृषि भूमि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के ख.न. 2/2 की 4.562 हैक्टर भूमि, ख.न. 2/3 की 2.6710 हैक्टर भूमि कुल 7.486 हैक्टर भूमि है जिसका अपीलान्ट अन्य खातेदारान के साथ खातेदार काश्तकार है तथा कृषि भूमि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के ख.न. 2/2 की 4.562 हैक्टर भूमि, ख.न. 2/3 की 2.6710 हैक्टर भूमि कुल 7.486 हैक्टर भूमि का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर रेस्पो. के द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट के द्वारा जवाब नोटिस पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:26:52 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

2. माननीय न्यायालय के द्वारा दिये आदेश का संक्षेप में– पटवारी हल्का दलपतपुरा ने एक रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण 1. जयप्रकाश 2. रामचन्द्र 3. लक्ष्मीनारायण 4. राजेन्द्र 5. रामनिवास पि. रामप्रताप जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ 6. रामप्रताप 7. पवन पि. बनवारीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के द्वारा कृषि भूमि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के ख.न. 2/2 की 4.562 हैक्टर भूमि, ख.न. 2/3 की 2.6710 हैक्टर भूमि कुल 7.486 हैक्टर भूमि है, जिसमें अपीलान्टस कृषि भूमि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के ख.न. 2/2 की 4.562 हैक्टर भूमि, ख. न. 2/3 की 2.6710 हैक्टर भूमि कुल 7.486 हैक्टर भूमि किस्म गैर मुमकिन को काश्त कर ली है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर धारा 22 राज.उप. अधिनियम का वाद 1954 कर रजिस्टर्ड किया गया है। अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु रा.उ. नि. अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया है एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया है एवं अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ है। जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा दिया गया जवाब सन्तोषजनक नही है। गै.मु. भूमि पर सिवायचक की भूमि पर नाजायज रूप से काश्त करने पर अतिक्रमी घोषित किया गया है एवं भू–राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि 900/– रूपये से दण्डित किया गया है एवं भूअभिलेख निरीक्षक मेघाना तहसील नोहर को आदेश जारी किया गया कि उक्त भूमि पर बहक सरकार कुर्क फसल की निलामी करवाई जाकर आद अनुमोदन खजानाराज जमा करावे एवं अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर अलग से बेदखली रिपोर्ट पेश करे। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः कायमी एवं वसुली हेतु अलग से आदेश दिनांक 20.09.2023 को जारी किया गया है।

3. प्रार्थी निम्न निवेदन करता है:–

(i) आदेश जो कतई गलत रूप से जारी किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे जिसे से व्यक्ति होकर निम्न आधारो पर अपील हाजा पेश की जा रही है।

(ii) आदेश अप्रार्थीगण के विधि के ज्ञान के अभाव के कारण न्यायालय के सामने विशेष तथ्य प्रस्तुत नही किये जा सके। प्रार्थी न्यायालय के सामने पूर्ण तथ्य प्रस्तुत कर रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:26:52 IST
Reason: SelfAttested

(iii) अपीलाधीन आदेश कतई गलत व विधि के मुलभुत सिद्धान्तो के विपरित है तथा काबिले खारीजी के है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(v) इस आदेश के द्वारा प्रार्थीगण के अधिकारो का हनन होता है तथा अपूर्ति क्षति हो सकती है।

(vi) यह कि अपीलान्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अपीलान्ट के खेत में मौका पर ग्वार की फसल काश्त कर रखी है तथा अपीलान्ट का सम्बत 2012 से पूर्व प्रतिकुल कब्जा काश्त में चली आ रही है। इसके बावजुद इसके रस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट के खिलाफ धारा 22 के आदेश फरमावे गये है जो विधि के मुलभुत सिद्धान्तो के विपरित है। तथा काबिले खारीज के है।

4. अपील अपीलान्ट न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की है तथा उचित कोर्ट फीस पर तहरीर कर पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश करके निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर पारित आदेश दिनांक 20.09.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट व अन्य सहखातेदारो की कृषि भूमि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खसरा नं0 2/2 की 4.562 हैक्टर भूमि, खसरा नं0 2/3 की 2.6710 हैक्टर भूमि कुल 7.486 हैक्टर भूमि है, जिसमें अपीलान्टसं कृषि भूमि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खसरा नं0 2/2 की 4.562 हैक्टर भूमि, खसरा नं02/3 की 2.6710 हैक्टर भूमि कुल 7.486 हैक्टर भूमि है, जिसका अपीलान्ट अन्य खातेदारों के साथ खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि बाबत ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954 के तहत नोटिस जारी कर कार्यवाही गई, जो कि विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2023 को अपास्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2023 में अंकन किया कि हल्का पटवारी दलपतपुरा ने रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर निवदेन किया कि अप्रार्थीगण जयप्रकश पुत्र धर्मपाल, रामचन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण, राजेन्द्र, रामनिवास पि0 रामप्रताप, पवन पुत्र बनवारीलाल कौम जाट साकिन दलपतपुरा द्वारा खसरा नं0 2/2 में 4.562है0 ग्वार, 0.253है0 में मुंग, खसरा नं0 2/3 के 2.6710है0 में ग्वार, उक्त दोनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:46:52 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 24/2023 अनवान जयप्रकश आदि बनाम स्टेट

खसरों में कुल 7.486है0 किस्म गैर मुमकीन सिबाचक भूमि पर नाजायज काश्त कर लिया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर राज. उप. अधिनियम 1954 की 22 के तहत कार्यवाही गई।

अपीलांट द्वारा उक्त कृषि भूमि के मालिकाना हक से संबधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर राज. उप. अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत की गई कार्यवाही विधि सम्मत है। अतः तहसीलदार नोहर द्वारा दिनांक 20.09.2023 को पारित आदेश में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है एंव तहसीलदार नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2023 को यथावत रखा जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा मूल पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 20/5/25 को सरेइजलास सुनाया गया।

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:26:52 IST
Reason: SelfAttested